न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 35/2025 बउनवानी राजेश कुमार **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर ,स0मा0 पुत्र श्री देवीनारायण शर्मा नि0 ग्राम खण्डार तहसील खण्डार

GCMS No-2025/ 134

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
17.6.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 20.3.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *प्रार्थी के नाम की बारह बोर बंदूक नम्बर 393 अनुज्ञा पत्र संख्या 03/एसडब्ल्यूम/03 को नवीनीकरण नही करने का कारण सहित समस्त दस्तावेजो सहित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति।* " अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक: एफ.13(01)(31)/सूकाअ/2025/475 दिनांक 20.5.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 20.3.2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग को जरिये पत्रांक 286-88 दिनांक 25.3.2025 से लिखा जाने पर प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 1992 दिनांक 17.4.2025 द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र की अन्तिम वैद्यता अवधि दिनांक 31.12.2020 तक थी मुताबिक रिकार्ड आगामी नवीनीकरण अवधि के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.3.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का संबंध मे प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्रांक 1992 दिनांक 17.4.2025 से अपीलन्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 13:15:04 IST
Reason: SelfAttested